

डिकरी व मुकदमे इब्दाई

ओ020रूल 6-7 जाब्ता दिवानी

अदालत : उपखण्ड अधिकारी
इजलास सत्यनारायण आचार्य

मुकाम - कुशलगढ़
आर0ए0एस0

जोगी पुत्र जिता भील निवासी कोठारिया तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा
बनाम

1. दीता पुत्र पुना भील निवासी कोठारिया तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा
2. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये राजस्व प्रतिनिधि तहसीलदार कुशलगढ़
3. जिला कलेक्टर बांसवाड़ा प्रतिनिधि राजस्थान सरकार
4. मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक शाखा कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)


दावा बाबत् : 88, 53, 209 रा0का0अ0,

प्रकरण सं0 68/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसलस कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुदई रूबरू अभिभाषक मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है / डिकरी जारी की जाती है कि-

ग्राम कोठारिया की भूमि सर्वे नम्बर 6 रकबा 2.28 एकड़, 8 रकबा 1.48 एकड़, 9 रकबा 3.00 एकड़, 11 रकबा 0.06 एकड़ कुल खेत 4 कुल रकबा 6.82 एकड़ लगान 18.86 में वादी को 1/2 तथा प्रतिवादी सं0 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त हिस्सा अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस एवं भूमि की किस्म/रेकार्ड के आधार पर राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार कुशलगढ़ को बटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। जो विभाजन प्रस्ताव तैयार कर फहरिस्त बटवारा एवं नक्षा ट्रेस तीन-तीन प्रतों में पेश करेंगे। बैंक का इन्द्राज यथावत रहेगा। खर्चा पक्षकारान् अपना वहन करें।

मिजमुलालिगबातखर्चा इस मुकदमें के मय सदबशरह फिसदी सालाना अज तारीख से तारीख अदायगी तक..... बासिब्त मेरे दस्तखत व मुहर के आज तारीख 07.12.2016 को जारी की गई



(सत्यनारायण आचार्य)
उपखण्ड अधिकारी
कुशलगढ़

मुदई	रूपया पैसा	मुदायलाल	रूपया पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प बजह सवूत		महनताना	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत् इजराय हुक्मनामा	
बाबत् इजराय हुक्मनामा		मुतफरिक मिजान मुतफखियख	
नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल हर दो फरिकेन को चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।			